



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 13 अगस्त, 2026

श्रावण 22, 1948 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग-1

संख्या 240/79-वि-1-2026-1-क-8-2026

लखनऊ, 13 अगस्त, 2026

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन श्री राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2026 जिससे राजस्व अनुभाग-1 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 13 अगस्त, 2026 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19 सन् 2026 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन)

अधिनियम, 2026

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19 सन् 2026)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2026 संक्षिप्त नाम और कहा जाएगा। प्रारम्भ

(2) यह दिनांक 8 अप्रैल, 2026 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश
अधिनियम संख्या 8
सन् 2012 की
धारा 80 का
संशोधन

2—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 में धारा 80 की उपधारा (8) में निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात:—

“परन्तु यह कि यदि भूमि या उसका कोई भाग, जिसके लिए इस धारा के अधीन घोषणा की अपेक्षा की जाती है, किसी विकास प्राधिकरण, औद्योगिक विकास प्राधिकरण, विनियमित क्षेत्र, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण या उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के अधिसूचित क्षेत्र के भीतर आता है, और यदि ऐसी भूमि के सम्बंध में यथास्थिति, उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973, उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976, उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) अधिनियम, 1958, उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986, या उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 के अधीन भवन निर्माण अनुज्ञा, विकास अनुज्ञा या अभिन्यास योजना का अनुमोदन स्वीकृत किया गया हो, ऐसी स्वीकृति इस अधिनियम की धारा 80 की उपधारा (2) के अधीन घोषणा मानी जायेगी और ऐसी जाँच जैसा कि विहित किया जाय, के उपरान्त इस आशय की प्रविष्टि राजस्व अभिलेखों में अनिवार्य रूप से पन्द्रह दिवस की अवधि के भीतर अभिलिखित किया जायेगा:

परन्तु यह और कि इस अधिनियम की धारा 80 की उपधारा (2) के अधीन घोषणा के समय कोई शुल्क प्रभारित नहीं किया जायेगा।”

निरसन और
व्यावृत्ति

3—(1) उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2026 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 6 सन् 2026), उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (चतुर्थ संशोधन) अध्यादेश, 2026 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 14 सन् 2026) एतद्वारा निरसित किये जाते हैं।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश राज्य में भू-धृति और भू-राजस्व से सम्बन्धित विधि को समेकित एवं संशोधित करने तथा उससे सम्बन्धित और आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने हेतु उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) अधिनियमित की गयी है।

पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 80 के अधीन यह उपबंध है कि यदि कोई संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर अपनी धृति या उसके किसी भाग का औद्योगिक, वाणिज्यिक या आवासीय प्रयोजनों या कृषि से भिन्न किसी प्रयोजन के लिये उपयोग करता है तो ऐसी कृष्येतर भूमि के उपयोग के लिए घोषणा किया जाना अपेक्षित होगा। इस उपबंध के अनुसार वर्तमान में विकास प्राधिकरण और औद्योगिक विकास प्राधिकरण जब किसी भूखण्ड पर कोई स्कीम या महायोजना विकसित करते हैं तो उनसे उस भूमि के कृष्येतर प्रयोजन हेतु उपयोग की घोषणा की अपेक्षा की जाती है। यद्यपि विकास प्राधिकरण तथा औद्योगिक विकास प्राधिकरण प्रायः भूखण्ड पर कोई स्कीम या महायोजना विकसित किये जाने से पूर्व ही भूमि विकास या अभिन्यास योजना हेतु अनुमोदन प्रदान कर देते हैं। ऐसी स्थिति में, विकासकर्ता को भूमि के कृष्येतर उपयोग हेतु दोहरी प्रक्रिया का सामना करना पड़ता है।

उपर्युक्त के दृष्टिगत, विकास प्राधिकरणों तथा औद्योगिक विकास प्राधिकरणों द्वारा भूमि विकास या भू-योजना का अनुमोदन सम्यक रूप से प्रदान किये जाने के पश्चात भूमि उपयोग के संपरिवर्तन और भू-अभिलेखों के नामांतरण की प्रक्रिया को सरल और सुव्यवस्थित बनाये जाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 80 का संशोधन किये जाने का विनिश्चय किया गया।

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 23 मई, 2026 को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (चतुर्थ संशोधन) अध्यादेश, 2026 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 14 सन् 2026) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
जे० पी० सिंह-II,
प्रमुख सचिव।

No. 240(2)/LXXIX-V-1-2026-1-ka-8-2026

Dated Lucknow, August 13, 2026

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajaswa Sanhita (Sanshodhan) Adhiniyam, 2026 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 19 of 2026) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 13, 2026. The Rajaswa Anubhag-1 is administratively concerned with the said Adhiniyam.

THE UTTAR PRADESH REVENUE CODE (AMENDMENT)
ACT, 2026

(U.P. Act no. 19 of 2026)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Revenue Code, 2006.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-seventh Year of the Republic of India as follows :-

1.(1) This Act may be called the Uttar Pradesh Revenue Code (Amendment) Act, 2026. Short title and commencement

(2) It shall be deemed to have come into force with effect from the 8th day of April, 2026.

2. In the Uttar Pradesh Revenue Code, 2006, in sub-section (8) of section 80, the following provisos shall be *inserted*, namely:- Amendment of Section 80 of U.P. Act No. 8 of 2012

“Provided that if the land, or any part thereof, for which a declaration is sought under this section, falls within the notified area of a Development Authority, an Industrial Development Authority, a Regulated Area, a Special Area Development Authority, or the Uttar Pradesh Housing and Development Board; and if, in respect of such land, as the case may be, a building permission, development permission, or approval of a layout plan has been granted under the Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973, the Uttar Pradesh Industrial Area Development Act, 1976, the Uttar Pradesh (Regulation of Building Operations) Act, 1958, the Uttar Pradesh Special Area Development Authorities Act, 1986, or the Uttar Pradesh Avas Evam Vikas Parishad Adhiniyam, 1965, such grant shall be deemed to constitute a declaration under sub-section (2) of Section 80 of this Act and following such inquiry as may be prescribed, an entry to this effect shall compulsorily be recorded in the revenue records within a period of fifteen days:

Provided further that no fee shall be charged at the time of the declaration under sub-section (2) of section 80 of this Act.”

Repeal and
saving

3.(1) The Uttar Pradesh Revenue Code (Amendment) Ordinance, 2026 (U.P. Ordinance No. 6 of 2026), the Uttar Pradesh Revenue Code (Fourth Amendment) Ordinance, 2026 (U.P. Ordinance No. 14 of 2026) are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Revenue Code, 2006 (U. P. Act No. 8 of 1912) has been enacted to consolidate and amend the law related to land tenures and land revenue in the State of Uttar Pradesh and to provide for matters connected therewith and incidental thereto.

Under section 80 of the aforesaid Act, there is a provision that if a bhumidhar having transferable rights uses his holding or any part thereof for industrial, commercial or residential purposes, or for any purpose other than agriculture, a declaration for such non-agricultural use of land is required to be made. According to this provision, at present when Development Authorities and Industrial Development Authorities develop any scheme or master plan for a plot of land, they are required to declare the use of that land for non-agricultural purposes. However, Development authorities and Industrial Development Authorities often grant approval for land development or layout plans even before any scheme or master plan is developed for the plot of land. In such a situation, the developer has to face dual process for non-agricultural use of land.

In view of the above, it was decided to amend Section 80 of the aforesaid Act in order to simplify and streamline the process of conversion of land use and mutation of land records after the approval of land development or land plan is duly granted by the Development Authorities and Industrial Development Authorities.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Revenue Code (Fourth Amendment) Ordinance, 2026 (U.P. Ordinance No. 14 of 2026) was promulgated by the Governor on 23rd May, 2026.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,
J. P. SINGH-II,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 461 राजपत्र-2026-(1136)-599 प्रतियां-(डी०टी०पी० / ऑफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 84 सा० विधायी-2026-(1137)-30+270=300 प्रतियां-(डी०टी०पी० / ऑफसेट)।